:: प्रारुप–11 ::

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि0मी0 (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि0मी0)

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 764/III (2)/08 दिनांक 24 मार्च 2008 द्वारा लम्बाई 6.000 कि0मी0 लागत रू0 120.00 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मार्ग मोटर मार्ग के कि0मी0 4.000 से आरम्भ होकर गॉव को जोडेगा। इस मार्ग के निर्माण से 1. ग्वीन, 2.डांडा ग्वीन ग्राम लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 283,85 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 368 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाये पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

इस मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त 02 समरेखणों पर विचार किया गया है। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया समरेखण ग्राम डांडा ग्वीन को जोडेगा। इस समरेखण कुल 5 हेयर पिन बैण्ड हैं। इस समरेखण का अधिकाश भाग नाप भूमि से गुजरता है, जिस हेतु ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गई है। इस समरेखण मे टैरेन क्रास स्लोब 25^0 से 60^0 तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली भूमियों में आरक्षित वन भूमि 0.882 है0, सिविल वन भूमि 0.108 है0 वन पंचायत भूमि शून्य है0 इस प्रकार कुल वन भूमि 0.990 है0 है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं नाप भूमि 2.610 है0 प्रयुक्त की जानी है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है। नक्शे मे नीले रंग से दर्शाया गया समरेखण वैकल्पिक निरस्त समरेखण है। क्योंकि इस समरेखण मे मार्ग का ग्रेड अधिक होने एवं हियर पिन बैण्डो की संख्य 7 होने के कारण तकनीकी रूप से उपयुक्त नही है एवं मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी। जिससे कुल आपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल अधिक है व प्रभावित होने वाले पेडों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 02 को निरस्त कर समरेखण नं0 01 को अनुमोदित किया गया है।

वनभूमि हस्तानान्तरितं करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल

उप वन संरक्षक
ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी